बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण, विस्तार, आधुनिकीकरण के लिए सहायता

भारत सरकार का राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन एच बी) 'बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी' योजना चला रहा है। इस योजना के तहत, कोल्ड स्टोरेज के नियंत्रित वातावरण और उनके आधुनिकीकरण सहित संबंधित क्रेडिट लिंक्ड परियोजनाएं सहायता के लिए पात्र हैं।

योजना के अनुसार, 5,000 मेट्रिक टन से और 10,000 मेट्रिक टन तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज और नियंत्रित वातावरण स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत के 35 प्रतिशत और पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों व अनुसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1,000 मेट्रिक टन से अधिक क्षमता वाली इकाइयाँ भी सहायता के लिए पात्र हैं।

अधिकतम अनुमेय सब्सिडी मूल चालान के अधीन है, और किसी भी स्थिति में 7.50 करोड़ रुपये तक, जो भी कम हो। ऐड-ऑन प्रौद्योगिकी के लिए, पूंजीगत लागत के 35 प्रतिशत पर क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड के रूप में सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

यह योजना मांग/उद्यमी पर आधारित है। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदकों को सैद्धांतिक अनुमोदन (आई पी ए) के लिए एन एच बी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आई पी ए प्राप्त होने के बाद, आवेदकों को बैंक/वित्तीय संस्थान से सावधि ऋण स्वीकृत कराना आवश्यक है।

इसके बाद, एन एच बी परियोजना शुरू करने के लिए मंज़ूरी का अनुदान जारी करता है। प्रमोटर के हिस्से और बैंक मियादी ऋण का उपयोग करके परियोजना के पूरा होने पर, सब्सिडी का दावा एन एच बी को प्रस्तुत किया जाता है।

परियोजना के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के बाद, एन एच बी की परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा सब्सिडी के दावे पर विचार और अनुमोदन किया जाता है। इसके बाद, एन एच बी सब्सिडी ऋण देने वाले बैंक/वित्तीय संस्थान के सब्सिडी आरक्षित निधि खाते में जारी की जाती है।

आवेदन करने से पहले, आवेदकों को एन एच बी वेबसाइट http://nhb.gov.in पर उपलब्ध संबंधित योजना के परिचालन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मांगी गई वित्तीय सहायता अधिसूचित योजना के अनुसार है और वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

वित्तीय सहायता के लिए पात्रता

निजी व्यक्ति, किसान उत्पादक/उपभोक्ताओं के समूह, किसान उत्पादक संगठन, साझेदारी/स्वामित्व वाली फर्म, स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन, कंपनियां, निगम, सहकारी समितियां, सहकारी विपणन के संघ, कृषि उपज विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/समितियां, नगर निगम/समितियां, कृषि-उद्योग निगम, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और अन्य संबंधित अनुसंधान और विकास संगठन वित्तीय सहायता के पात्र हैं।